रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092020-221525
**CG-DL-E-02092020-221525**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 439] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2020/भाद्र 11, 1942**
**No. 439] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2020/BHADRA 11, 1942**

## वित्त मंत्रालय
## (राजस्व विभाग)
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2020

**सं. 29/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)**

**सा.का.नि. 545(अ).**—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "फ्लोट ग्लास 2 एमएम से 12 एमएम (दोनों मोटाई को शामिल करते हुए) की मोताई का क्लीयर टिंटेड किस्म के फ्लोट ग्लास, परन्तु इनमें इंडस्ट्रियल एथवा ऑटोमोटिव उद्देश्यों के लिय रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं है" जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7005 के अंतर्गत आता है के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 सितंबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 687(अ), दिनांक 8 सितंबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/2/2020-डीजीटीआर, दिनांक 10 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 10 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्‌द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 सितंबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 687(अ), दिनांक 8 सितंबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 7 दिसंबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है या इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगा ।"

[फा. सं. 354/115/2020-टीआरयू]

जैनेंद्र सिंह कंधारी, उप सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 47/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 सितंबर, 2015 सा.का.नि. संख्यांक 687(अ) दिनांक 8 सितंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2020

**No. 29/2020-CUSTOMS (ADD)**

**G.S.R. 545(E).**—Whereas, the designated authority vide initiation notification No. 7/2/2020-DGTR, dated the 10th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th February, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes" falling under heading 7005 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Peoples' Republic of China, imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/2015-Customs (ADD), dated the 8th September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 687 (E), dated the 8th September, 2015, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 47/2015-Customs (ADD), dated the 8th September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 687(E), dated the 8th September, 2015, namely:-

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 7th December, 2020, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 354/115/2020-TRU]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification No. 47/2015-Customs (ADD), dated the 8th September, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 687 (E), dated the 8th September, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA